

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक- 20.2.18

संख्या -3/एम0-19/2015सा0प्र0.....2423 / संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों के नियमितिकरण के मामलों की बिहार लोक सेवा आयोग (कार्यसीमन) विनियमावली, 1957 (समय-समय पर यथा संशोधित), बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 (समय-समय पर यथा संशोधित), संबंधित पदों की नियुक्ति संबंधी नियमावलियों एवं इस संबंध में पारित किसी अन्य न्याय निणयों तथा राज्य में लागू आरक्षण संबंधी प्रावधानों के आलोक में जाँच कर, उनकी सेवा के नियमितिकरण के लिए अनुशंसा करने हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 6161 दिनांक- 24.04.2015 द्वारा उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। अधिसूचना संख्या- 6862 दिनांक- 12.05.2015 द्वारा मनोनीत श्री अशोक कुमार चौधरी, (भा0प्र0से0, 1972) द्वारा दिनांक- 13.05.2015 को उक्त समिति के अध्यक्ष-पद का प्रभार ग्रहण किया गया।

उक्त संकल्प की कंडिका-4 में प्रावधानित है कि मामलों पर विचार करने के पश्चात् समिति अपनी अनुशंसा 3 (तीन) माह के भीतर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगी। तदालोक में समिति का कार्यकाल दिनांक- 13.08.2015 को समाप्त हो जाने के पश्चात् कार्य की विशदता को देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या- 13219 दिनांक- 03.09.2015 द्वारा समिति का कार्यकाल दिनांक- 13.11.2015 तक, अधिसूचना संख्या- 16900 दिनांक- 07.12.2015 द्वारा दिनांक- 13.02.2016 तक, अधिसूचना संख्या- 1705 दिनांक- 03.02.2016 द्वारा दिनांक- 13.08.2016 तक, अधिसूचना संख्या- 10751 दिनांक- 05.08.2016 द्वारा दिनांक- 13.02.2017 तक, तथा अधिसूचना संख्या- 1467 दिनांक- 07.02.2017 द्वारा दिनांक- 12.02.2018 तक विस्तारित किया गया।

समिति का प्रतिवेदन उक्त विस्तारित तिथि तक भी प्राप्त नहीं होने एवं उसके द्वारा किये जा रहे कार्य की महत्ता एवं विशदता को देखते हुए सम्यक विचारोपरांत समिति के कार्यकाल को अगले 6 (छः) माह अर्थात् दिनांक- 12.08.2018 तक विस्तारित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राजेन्द्र रोम)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या -3/एम0-19/2015सा0प्र0.....2423 / पटना, दिनांक 20.2.2018  
प्रतिलिपि- ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को आगामी बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या -3/एम0-19/2015सांप्र०<sup>2423</sup>/पटना, दिनांक 20.2.2018

प्रतिलिपि :- श्री अशोक कुमार चौधरी, (भा0प्र0से0, 1972), अध्यक्ष, उच्च स्तरीय समिति, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव  
27/2/18

ज्ञाप संख्या -3/एम0-19/2015सांप्र०<sup>2423</sup>/पटना, दिनांक 20.2.2018

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव/सचिव वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग एवं विधि विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव  
27/2/18

ज्ञाप संख्या -3/एम0-19/2015सांप्र०<sup>2423</sup>/पटना, दिनांक 20.2.2018

प्रतिलिपि- सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/बिपार्ड, वाल्मि, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव  
27/2/18